

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 2263/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मैसर्स उषा जैम्स जौहरी बाजार जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, जयपुर 2.सहायक आयुक्त, वृत्त-एच, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदन लाल मालवीय-सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का प्रार्थना पत्र प्राप्त तथा विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील 2263/2016/जयपुर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">↓ (मदन लाल मालवीय) सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">JK Ajmer J.A 15/2/17</p>